

कार्यालय प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, बाराबंकी।  
पत्रांक 3781 / 14-4-4 बाराबंकी, दिनांक 14/06/2017

सेवा में,

वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक  
सरयू वृत्त, उ० प्र०  
फैजाबाद।

**विषय:-** एस्सार आयल लिमिटेड द्वारा प्रस्तावित ग्राम- बनीकोडर, तहसील- रामसनेहीघाट, जनपद-बाराबंकी के गाटा संख्या- 288 तथा 305 में भितरिया-हैदरगढ़ मार्ग किमी० 1-2 के मध्य दायी पटरी पर रिटेल आउटलेट के निर्माण कार्य हेतु 0.0493 हे० के स्थान पर संशोधित क्षेत्रफल 0.052743 हे० संरक्षित वन भूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी कार्य हेतु हस्तान्तरण का प्रस्ताव।

**सन्दर्भ:-** भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय मध्य क्षेत्र अलीगंज लखनऊ के कार्यालय का पत्रांक- 8बी/यू०पी०/०६/१५/२०१७/एफ.सी./८८ दिनांक ०७-०६-२०१७ तथा मुख्य वन संरक्षक /नोडल अधिकारी उ० प्र० लखनऊ का पत्रांक- 2641/11- दिनांक 12-०६-२०१७

**महोदय,**

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि उक्त रिटेल आउटलेट के स्थापना हेतु प्रस्ताव में भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा लगायी गयी आपत्तियों का निराकरण कर सूचना आपकी सेवा में दो प्रतियों में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

विन्दु	आपत्ति का विवरण	निराकरण
1	विन्दु संख्या-6 में चाही गयी सूचनानुसार सम्बन्धित प्रमाण पत्र आनलाइन अपलोड कर मांगी गयी अनुपालन आख्या	विन्दु संख्या-6 में चाही गयी सूचनानुसार सम्बन्धित प्रमाण पत्र आनलाइन अपलोड कर अनुपालन आख्या आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

अतः आप द्वारा दिये गये निर्देशानुसार आपत्ति का निराकरण कर आन लाइन अपलोडकर अनुपालन आख्या आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

भवदीय,

  
( जावेद अख्तर )

प्रभागीय निदेशक

सा० वा० वन प्रभाग, बाराबंकी

संख्या \_\_\_\_\_ / उक्तदिनांकित।

- 1- प्रतिलिपि क्षेत्रीय वन अधिकारी रामसनेहीघाट को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि जब तक भारत सरकार से विधिवत स्वीकृति प्राप्त न हो जाय तब तक ऐसा कोई कार्य न करने दिया जाय जिससे वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन हो।
- 2- प्रतिलिपि डिपिजनल प्रबन्धक, एस्सार आयल लि० 2/373 विशाल खण्ड निकट-सी. एम.एस. गोमतीनगर, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

( जावेद अख्तर )

प्रभागीय निदेशक

सा० वा० वन प्रभाग, बाराबंकी।

त्रिमुवन/-